भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न सं. +1898
सोमवार, 14 मार्च, 2022/23 फाल्गुन, 1943 (शक)
को दिया जाने वाला उत्तर

पर्यटन सहयोग संबंधी समझौता ज्ञापन

+1898. श्री राहुल रमेश शेवालेः
श्री गिरीश भालचन्द्र बापटः
श्री चंद्र शेखर साहूः
डॉ. प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडेः

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारत और ऑस्ट्रेलिया ने पर्यटन सहयोग हेतु किसी समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त समझौता ज्ञापन की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या दोनों देशों द्वारा पर्यटन क्षेत्र हेतु पूर्व में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के परिणाम का मूल्यांकन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले एमओयू की तुलना में वर्तमान समझौता ज्ञापन में किन-किन संशोधनों को शामिल किया गया है;

(ड.) पिछले एमओयू की अवधि के दौरान ऑस्ट्रेलिया के कितने पर्यटकों ने भारत का दौरा किया और वर्तमान एमओयू अवधि के दौरान पर्यटकों की संख्या कितनी बढ़ने की संभावना है; और

(च) कोविड-19 महामारी अवधि के दौरान भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य पर्यटन कितना प्रभावित हुआ है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री **(श्री जी. किशन रेड्डी)**

(क) और (ख) : जी, हां महोदय । भारत तथा ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्यटन सहयोग के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन को दिनांक 11.02.2022 को नवीकृत किया गया था । इस समझौता ज्ञापन के मुख्य उद्देश्यों में निम्नलिखित शामिल हैं :

i. पर्यटन नीति एवं सुगमीकरण से संबंधित द्विपक्षीय सहयोग विस्तार;
ii. पर्यटन संबंधी सूचना एवं आकंड़ों का आदान-प्रदान;
iii. पर्यटन हितधारकों विशेष रूप से होटलों तथा टूर ऑपरेटरों के बीच सहयोग;
iv. पर्यटन एवं आतिथ्य में प्रशिक्षण और शिक्षा प्रदाताओं के बीच सहयोग तथा विनिमय;
v. पर्यटन एवं आतिथ्य क्षेत्रों में निवेश;
vi. टूर ऑपरेटरों तथा थोक विक्रेताओं, मीडिया एवं ओपनियन मेकर्स के दौरे;

vii. उच्च गुणवत्तायुक्त, सुरक्षित, नैतिक तथा स्थायी पर्यटन विकास;

viii. प्रमुख सांस्कृतिक, कलात्मक एवं खेल आयोजनों में रुचि

ix. एक-दूसरे के देश में लागू कानूनों, नियमों तथा निर्देशों के संबंध में यात्री शिक्षा हेतु अवसर; और

x. बहुपक्षीय मंचों पर संवर्धित पर्यटन संवाद ।

(ग) से (च) : भारत तथा ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्यटन सहयोग हेतु पिछले समझौता ज्ञापन पर दिनांक 18 नवम्बर, 2014 को हस्ताक्षर किए गए थे । यह समझौता ज्ञापन 5 वर्ष के लिए वैध था । इस समझौता ज्ञापन के कार्यढांचे के अंतर्गत भारत तथा ऑस्ट्रेलिया में संयुक्त कार्यकारी समूह की बैठकों का आयोजन किया गया । जेडब्ल्यूजी की इन बैठकों जिनमें दोनों पक्षों से यात्रा व्यापार जगत भी शामिल था, में पर्यटन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई । पिछले समझौता ज्ञापन में मौजूद उद्देश्यों के अतिरिक्त नवीकृत समझौता ज्ञापन में सांस्कृतिक एवं खेल आयोजनों, बहुपक्षीय मंचों पर संवाद आदि के माध्यम से पर्यटन सहयोग भी शामिल है ।

वर्ष 2015 से 2020 के दौरान (कोविड महामारी की अवधि सहित) ऑस्ट्रेलिया से भारत में पर्यटक आगमन की संख्या निम्नानुसार है –

2015	2016	2017	2018	2019	2020
263101	293625	324243	346486	367241	86758

*****